

17/7/19

प्रायः कि आखिल्वर। उपासित। अज्ञायी लब्ध २३ वी
तलकी हेर समय चाहि ही पूर्व प्रकरण दायरी पश्चात
तलकी हेर समय लेते आ रहे ही आ दिनात्र तलक
नोटिस तलवान प्रेष नही किय ही पूर्व मे वी
दिवायत की जा रही ही कि नोटिस तलवान प्रेष नही
करे पर प्रकरण खालि कर दिया जायेगा फिर भी
आदिनात्र तल नोटिस तलवान प्रेष नही किय है अतः प्रकरण
आदेश की अवधि मे अद्य तक मील मे खालि किय
जता ही मिसल केसल सुगर लोकतक प्रेष है कि
ही। बाद दफतर दाखिल ही।

आदेश आज सुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूका (अजमेर) राज.

